भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 251226

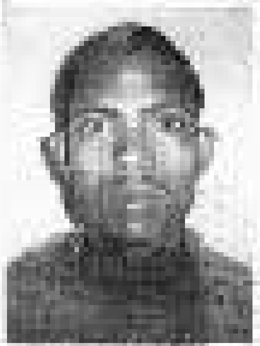

## विक्रय अनुबन्ध पत्र

### लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

| | | |
|---|---|---|
| 1. | भूमि का प्रकार | : कृषि |
| 2. | परगना | : लखनऊ |
| 3. | ग्राम | : अहमामऊ |
| 4. | सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०) | : भूमि खसरा संख्या– 660/1 |
| 5. | मापन की इकाई | : हेक्टेयर |
| 6. | विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल | : 0.262 हेक्टेयर |
| 7. | सम्पत्ति का प्रकार | : कृषि |
| 8. | पेड़ों का मूल्यांकन | : कोई पेड़ नहीं |

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 251227

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | बोरिंग/कुआं/अन्य | : | नहीं |
| 10. | प्रतिफल की धनराशि | : | रु0 12,05,000/- |
| 11. | बयाना | : | रु0 12,00,000/- |
| 12. | मालियत | : | रु0 [illegible]/- |
| 13. | स्टाम्प | : | रु0 84,500/- |

**चौहद्दी**

*खसरा नं0 650/1*

पूरब : कृषि भूमि खसरा संख्या-651 व 665
पश्चिम : ग्राम सीमा युसुफ नगर नगिया मऊ
उत्तर : कृषि भूमि खसरा संख्या-649 व 648

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 322506

01 MAR 201



दक्षिण : कृषि भूमि खसरा संख्या–766 व 767

प्रथम पक्ष की संख्या–05 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

| विक्रेतागण का विवरण | क्रेता का विवरण |
| --- | --- |
| (1) दर्शन पुत्र अल्पति व (2) शंकर पुत्र अल्पति (3) सलिया पत्नी सुखलाल (4) बुद्धू (5) मैकू पुत्रगण सुखलाल, निवासीगण– ग्राम–बीहमाफर्दे, परगना, तहसील व जिला– लखनऊ।<br>व्यवसाय – कृषि | बाबूलाल पुत्र भवानी निवासी–ग्राम पूरे गिरी, शिवौली, जिला–रायबरेली, उ0प्र0<br>व्यवसाय–कृषि |

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 322504

01 MAR 2011



## विक्रय अनुबन्ध पत्र मय कब्जा

हमकि (1) दर्शन पुत्र खरपति व (2) शंकर पुत्र खरपति (3) सरिता पत्नी सुखलाल (4) बुद्धू (5) फेंकू पुत्रगण सुखलाल, निवासीगण– ग्राम–अकमामऊ, परगना, तहसील व जिला–लखनऊ, जो है। जिन्हें आगे विक्रेता/प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 392505

03 MAR 20..



बाबूलाल पुत्र भगानी निवासी–ग्राम पूरे निधी, किलौली, जिला–रायबरेली, उ0प्र0 , जिन्हें आगे क्रेता/द्वितीय पक्ष कहा गया है के मध्य निष्पादित हुआ।

यह कि प्रथम पक्ष भूमि खसरा सं0–650/1, रकबा 0.252 हेक्टेयर, स्थित–ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला–लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है।

यह कि वर्तमान में उक्त भूमि अतिरिक्त भूमि सीलिंग में दर्ज है तथा शहरी भूमि (सीलिंग व रेगुलेशन) एक्ट को समाप्त कर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



दिया गया है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0- 2514(एम0बी0) 2011 दायर की थी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम पक्ष के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 15.03.2011 के द्वारा प्रथम पक्ष के कब्जे को बेदखल करने पर रोक लगायी गयी है तथा प्रथम पक्ष का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

यह कि प्रथम पक्ष राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराकर द्वितीय पक्ष के पक्ष में रजिस्ट्री अवश्य कर देगा। यदि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01 MAR 2011



भूमि प्रथम पक्ष को नहीं मिलती है तो द्वितीय पक्ष अपनी समस्त धनराशि मय ब्याज व हर्जा खर्चा प्रथम पक्ष व उसके वारिसान से जरिये अदालत लेने का पूर्ण हक व अधिकार होगा।

विक्रीत कृषि भूमि विक्रेतागण के कब्जे में मौजूद है, विक्रीत कृषि भूमि जुमला हर किस्म के इन्तकालात, गिरवी, रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, बकाया, मुकदमा, सरकारी या गैर सरकारी बैंक ऋण आदि से बिल्कुल बरी व पाक साफ है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 322501
07 MAR 2011



अब [illegible] खुद के उसी [illegible] कृषि भूमि स्थित ग्राम–अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ को खूब–सोच व समझकर बिना दबाव नाजायज किसी चीज व हक व हकूक के बिल एवज रूपया 12,05,000/– (रुपया बारह लाख पांच हजार मात्र) में प्रथम पक्ष उपरोक्त के हक में बेचना तय पाया है। लिहाजा फरीकैन उभय पक्ष निम्नलिखित शर्तों के पाबन्द होते हैं:–

1. यह कि उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में उपरोक्त तायमुद्दत वसीका में से क्रेता/द्वितीय पक्ष ने विक्रेता/प्रथम पक्ष को

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S [illegible] [illegible] 200[illegible]



रुपया 12,00,000/- (रुपया बारह लाख मात्र) बयाना के तौर पर नीचे दिये गये विवरण के अनुसार अदा कर दिया है। जिसकी प्राप्ति विक्रेता/प्रथम पक्ष स्वीकार करते हैं।

2. यह कि बकाया रुपया रु0 5,000/- (रुपया पाँच हजार मात्र) क्रेता/द्वितीय पक्ष, विक्रेता/प्रथम पक्ष को वक्त रजिस्ट्री अदा करेगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 002763



3. यह कि उक्त कृषि भूमि जुमला हर किस्म के इन्तकालात, मिस्ल, रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, बन्धक, मुकदमा, सरकारी या गैर सरकारी बैंक ऋण आदि से बिल्कुल बरी व पाक साफ है, अतः प्रथम पक्ष उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों मे अपने नाम दर्ज कराकर विक्रेता/प्रथम पक्ष, क्रेता/द्वितीय पक्ष के पक्ष मे विक्रय विलेख निष्पादित कर देगा। यदि उक्त भूमि का प्रथम पक्ष के नाम दर्ज नहीं हो पाती है और क्रेता/द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि के कब्जे से

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 032764



बेदखल किया जाता है तो विक्रेता/प्रथम पक्ष सम्पूर्ण प्राप्त विक्रय मूल्य की धनराशि ब्याज सहित क्रेता/द्वितीय पक्ष को वापस करेगा।

4. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के अन्तर्गत उनके विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान व निष्पादकगण सम्मिलित है।

5. यह कि विक्रेता/प्रथम पक्ष यदि उपरोक्त भूमि की रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित करने में हीला हवाली करता है तो

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 002765



क्रेता/द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत उक्त भूमि का रजिस्ट्री बयनामा अपने हक में करा लेवे तथा उक्त अदालती कार्यवाही में होने वाले खर्च की जिम्मेदारी विक्रेता/प्रथम पक्ष की होगी।

6. यह कि यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग प्रथम पक्ष के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन के कारण द्वितीय पक्ष या उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे, अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 | FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये | सत्यमेव जयते | Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 922816



द्वितीय पक्ष उसके वारिसान, निष्पादकगण को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा खर्चा ब्याज प्रथम पक्ष की चल व अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें उस स्थिति में प्रथम पक्ष एवं उनके वारिसान हर्जा–खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे। इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के पूर्व का कोई बकाया यदि सम्पत्ति पर होगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष व उनके वारिसान की होगी।

7. यह कि रजिस्ट्री बयनामा निष्पादन में होने वाले खर्च जैसे कि स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रेशन फीस आदि की जिम्मेदारी क्रेता/द्वितीय पक्ष उपरोक्त की होगी।

8. यह कि इस अनुबन्ध पत्र द्वारा कब्जा दिया जा रहा है। विक्रेता/प्रथम पक्ष व क्रेता/द्वितीय पक्ष दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।

9. यह कि उपरोक्त विक्रय अनुबन्ध की शर्तें हम विक्रेता/प्रथम पक्ष व उत्तराधिकारी विधिक प्रतिनिधि, प्रशासक व क्रेता/द्वितीय पक्ष के विधिक वारिसान आदि पर भी लागू होंगे।

10. यह कि उपरोक्त भूमि ग्राम अहमामऊ, अर्बनगरीय क्षेत्र के विशेष ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रु0 50,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत सम्पत्ति की भूमि रकबा 0.252 हेक्टेअर की मालियत रु0 [illegible]/- होती है, जो विक्रय मूल्य से [illegible] है, अतः नियमानुसार मालियत मूल्य पर ही रु0 84,500/- के जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहे हैं।

11. यह कि आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है तथा विक्रीत आराजी की 200 मीटर की त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है और न ही आवासीय गतिविधियां संचालित हैं।

12. यह कि उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुलतानपुर रोड से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

यह कि आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।

<u>बयाना धनराशि प्राप्ति का विवरण</u>

1. रू० 4,00,000/- (रूपया चार लाख मात्र) द्वारा चैक संख्या- 373882, दिनांकित 23.03.2011, पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ।
2. रू० 4,00,000/- (रूपया चार लाख मात्र) द्वारा चैक संख्या- 373885, दिनांकित 23.03.2011, पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ।
3. रू० 1,33,334/- (रूपया एक लाख तैंतिस हजार तीन सौ चौंतिस मात्र) द्वारा चैक संख्या- 373891, दिनांकित 23.03.2011, पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ।
4. रू० 1,33,333/- (रूपया एक लाख तैंतिस हजार तीन सौ तैंतिस मात्र) द्वारा चैक संख्या-3738[illegible] दिनांकित 23.03. 2011, पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ।

[illegible]

1,00,000.00 [illegible]

1,00,000.00 10,000.00 20 [illegible] 100

[illegible]

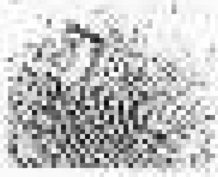

[illegible] 22/2/2011 [illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible] कुमार [illegible]

उप-निबंधक [illegible]

[illegible]

22/2/2011

[illegible]

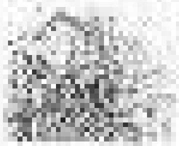

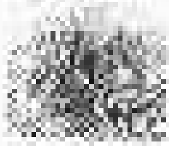

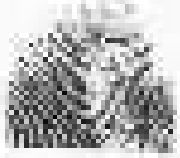

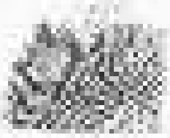

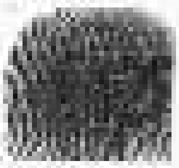

5. रु0 1,33,333/- (रुपया एक लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) द्वारा चेक संख्या 37[illegible], दिनांकित 23.03.2011, पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ।

इस प्रकार कुल बयाना राशि रु0 12,00,000/- (रुपया बारह लाख मात्र) विक्रेता/प्रथम पक्ष ने क्रेता/द्वितीय पक्ष से वसूल पाया।

अतः यह विक्रय अनुबन्ध पत्र आज विक्रेतागण व क्रेता ने बिना जोर दबाव नाजायज किसी शख्स के स्वस्थ मस्तिष्क, स्वतन्त्र सहमति से अपने-अपने हस्ताक्षर बनायन तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आये।

लखनऊ
दिनांक:-23.03.2011

गवाहान:-

1. [illegible]

2. [illegible]

विक्रेतागण

क्रेता

टाइपकर्ता
(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता
(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible]

[illegible]
[illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]

पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]

[illegible]

[illegible] अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार (प्रभारी)
उप-निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
[illegible]

नक्शा नजरी

[illegible] → [illegible] - 650/3

ग्राम → [illegible]

विक्रेता → [illegible]

क्रेता → [illegible]

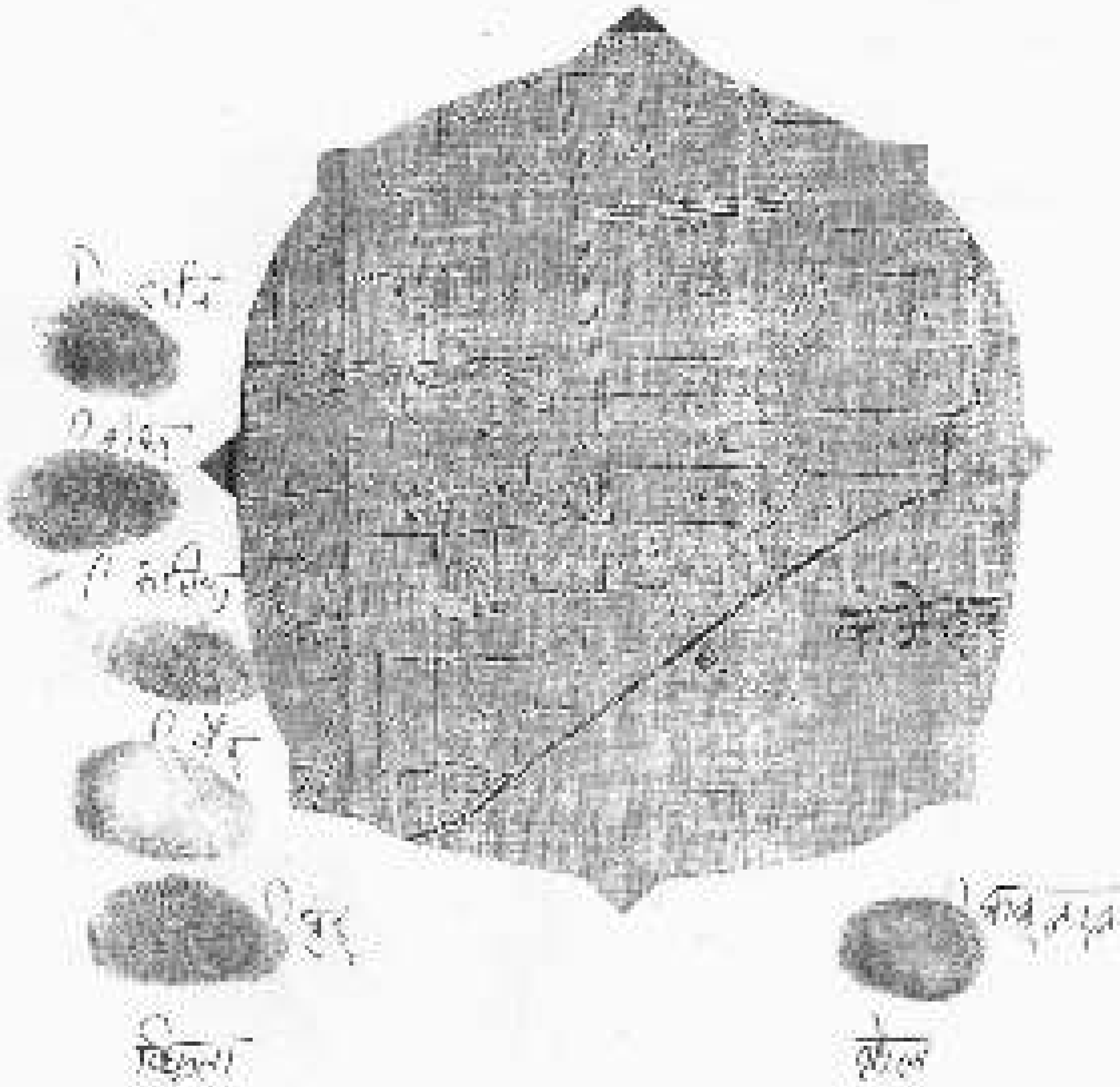

[illegible]

Registration [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

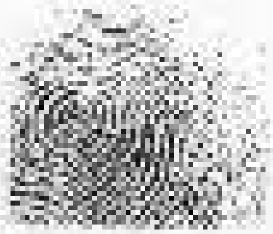

0102 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0103 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0104 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

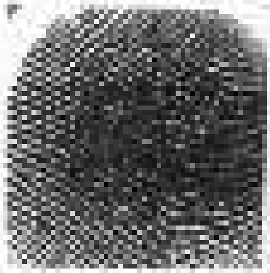

## रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु
## फिंगर्स प्रिन्टस्

विक्रेता का नाम व पता- मनोज पुत्र धरपति निवासी- ग्राम-अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला- लखनऊ।

**बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-**

**दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-**

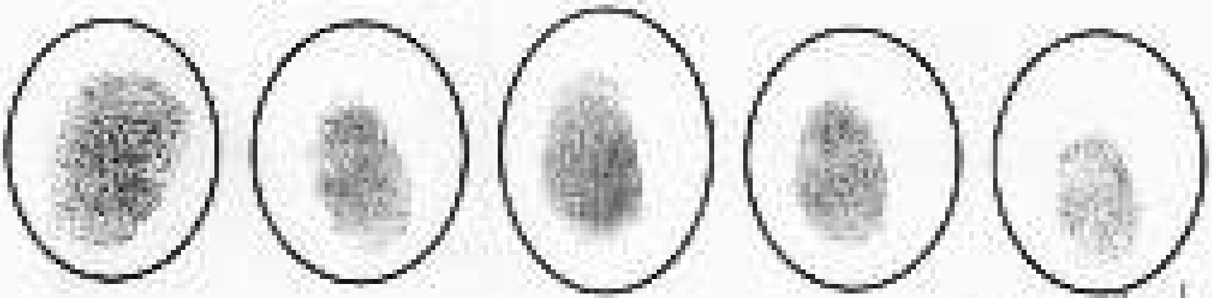

विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम व पता- शंकर पुत्र धरपति निवासी- ग्राम-अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला- लखनऊ।

**बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-**

**दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-**

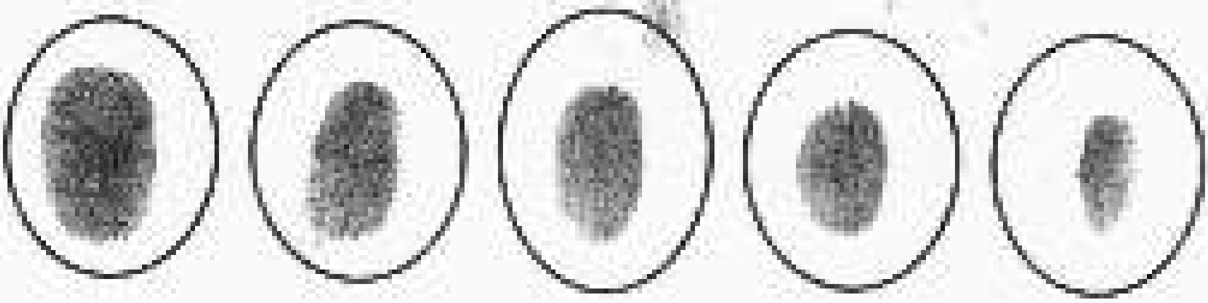

विक्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

0105 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

क्रेता का नाम व पता- [illegible] पत्नी [illegible], निवासी- ग्राम-[illegible], परगना, तहसील व जिला- लखनऊ।

**बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-**

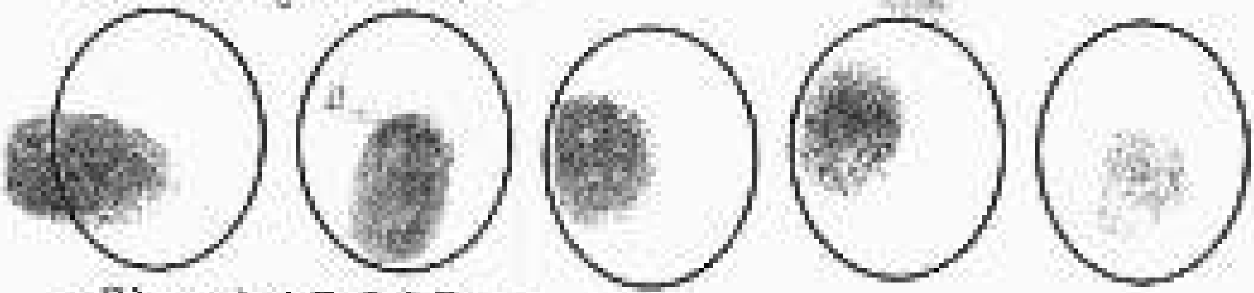

**दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-**

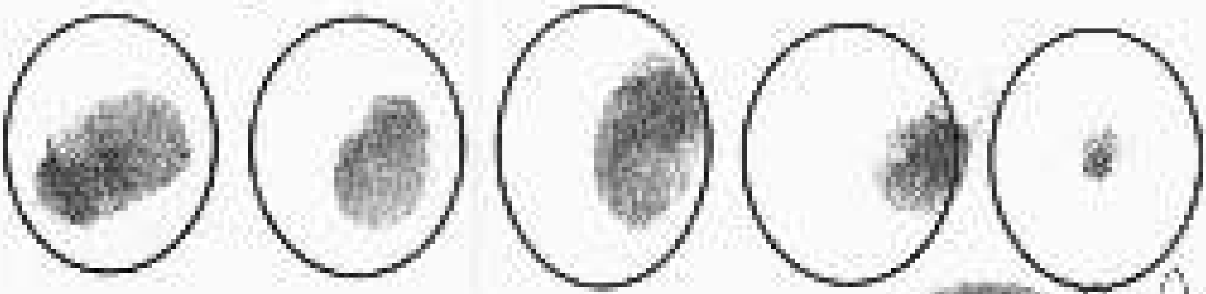

**क्रेता के हस्ताक्षर**

विक्रेता का नाम व पता- [illegible] पुत्र [illegible], निवासी- ग्राम-[illegible], परगना, तहसील व जिला- लखनऊ।

**बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-**

**दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-**

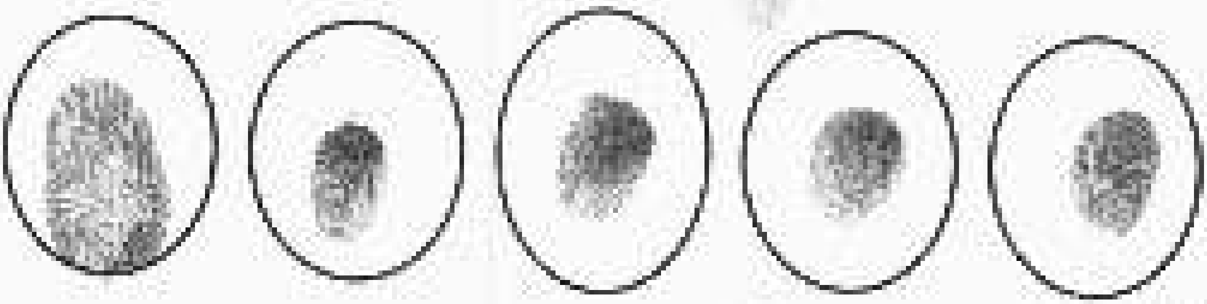

**विक्रेता के हस्ताक्षर**

क्रेता

Registration No.: 5498 Year: 2011 Book No.: 1

0221 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

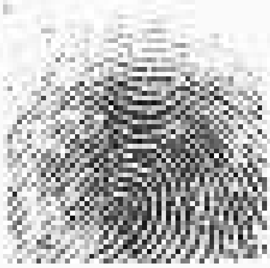

## रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु

## फिंगर्स प्रिन्टस्

विक्रेता का नाम व पता:- [illegible] पुत्र मुन्नालाल, निवासी ग्राम–[illegible], परगना, तहसील व जिला- लखनऊ ।

**बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–**

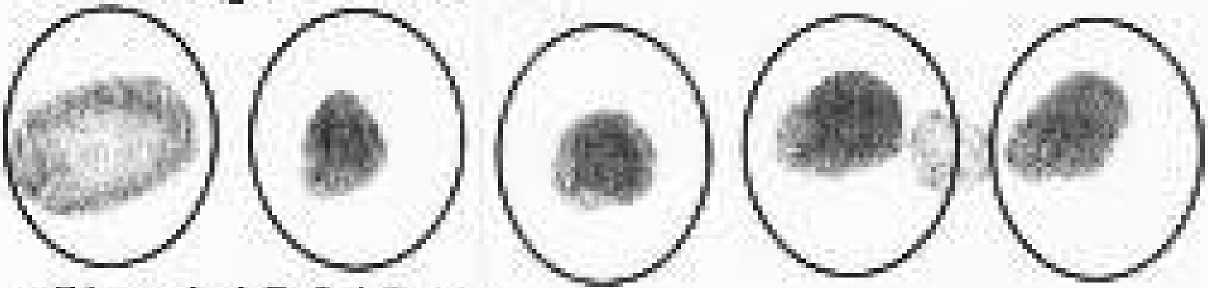

**दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–**

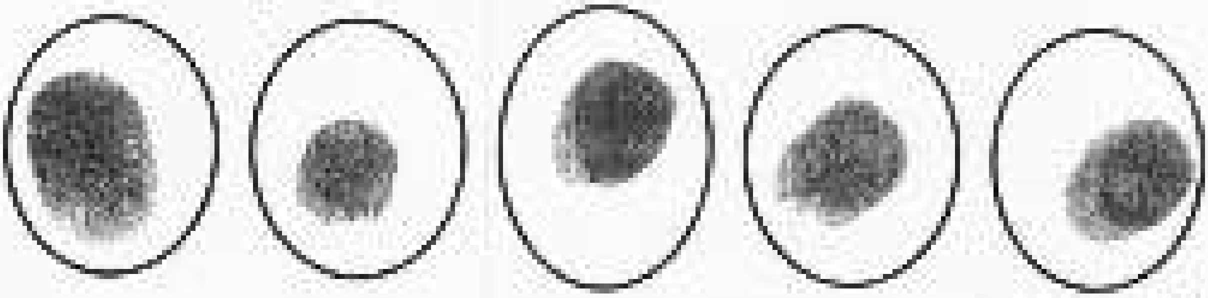

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता- बाबूलाल पुत्र [illegible] निवासी-ग्राम पूरे [illegible], [illegible], जिला-रायबरेली, उ०प्र० ।

**बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–**

**दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–**

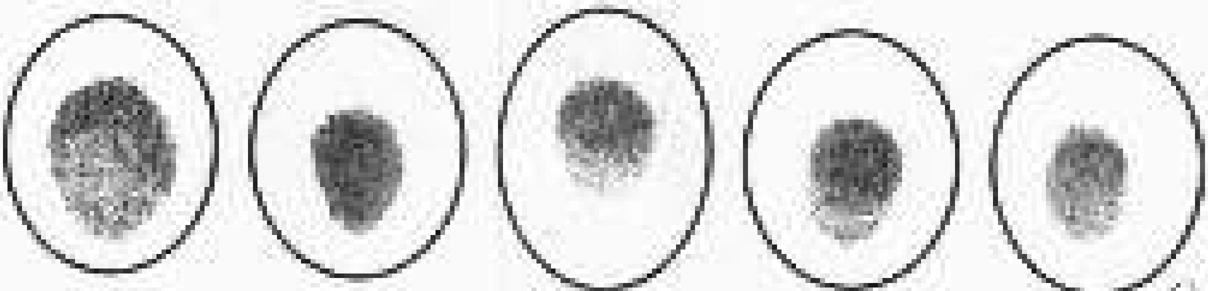

क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 23/03/2011 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 10738

पृष्ठ सं. 123 से 162 पर क्रमांक 3408

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible] कुमार (प्रभारी)

उप-निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

23/3/2011